बिहार सरकार

<u>सामान्य प्रशासन विभाग</u>

:: <u>संकल्प</u> ::

पटना–15 दिनांक...............................

इन्दिरा आवास आवंटन में अनियमितता संबंधी परिवाद से उद्भूत वाद सं०–01 / लोक(पंचायत)155 / 10 में माननीय लोकायुक्त द्वारा दिनांक 07.02.2018 को पारित अंतरिम आदेश में तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, फुलपरास (मधुबनी) श्री बिन्देश्वरी प्रसाद को निलंबित करने की अनुशंसा की गयी, जो लोकायुक्त कार्यालय, बिहार, पटना के पत्रांक–1245 दिनांक 15.02.2018 द्वारा प्राप्त हुआ।

उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में सम्यक् विचारोपरांत बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 के नियम 9 (1) (क) में निहित प्रावधानों के तहत श्री बिन्देश्वरी प्रसाद, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक–424 / 11, सम्प्रति उप विकास आयुक्त, अरवल को तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक के लिए निलंबित किया जाता है।

2. निलंबन अवधि में इन्हें बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 के नियम–10 के आलोक में जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

3. निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय आयुक्त कार्यालय, पटना प्रमंडल, पटना निर्धारित किया जाता है।

4. संदर्भित आरोपों की जाँच हेतु इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालन का आदेश अलग से निर्गत किया जायेगा।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह० / –

(राम बिशुन राय)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–08 / आरोप–01–66 / 2016,सा०प्र०,........................... / पटना, दिनांक............................

प्रतिलिपि– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, बिहार, पटना / वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना / कोषागार पदाधिकारी, अरवल / पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह० / –

सरकार के अवर सचिव।

निबंधित
स्पीड पोस्ट

ज्ञापांक–08 / आरोप–01–66 / 2016,सा०प्र०,........................... / पटना, दिनांक..........................

प्रतिलिपि–प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना / आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना / मगध प्रमंडल, गया / जिला पदाधिकारी, पटना / अरवल / मधुबनी / अवर सचिव, लोकायुक्त कार्यालय, बिहार, पटना / श्री बिन्देश्वरी, बि०प्र०से० (कोटि क्रमांक–424 / 11) उप विकास आयुक्त, अरवल / अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा–12,14 / चारित्री कोषांग, एवं आई॰टी॰ मैनेजर (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना, को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० / –

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–08 / आरोप–01–66 / 2016,सा०प्र०, 5292 **/ पटना, दिनांक** 18-4-18

प्रतिलिपि– प्रभारी पदाधिकारी, गजट प्रकाशन कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी०डी० सहित (दो प्रतियों में) बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

18.4.18

सरकार के अवर सचिव।